पत्र0सं0-स्था-1-नोडल अधिकारी / 2018-2019 / 5336 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 28 फरवरी, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनीटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की तैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, संसदीय शिष्टचार / पत्राचार कार्यन्वयन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/2019/145/90-सं0शि0प्र0का0-2019-01सं0वि0/2015 दिनांक 04-02-2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें मा0/ सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से तैमासिक सूचना संकलित कर निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में शासन के उक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि वॉछित सूचना निर्धारित प्रारूप में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वॉछित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जा सकें। तथा शासन के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद हेतु नोडल अधिकारी नामित कर वॉछित सूचना एक सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त कराएं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

ह0/-
(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइंट कमिश्नर, (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

1/2019 **शीर्ष प्राथमिकता/ अविलम्ब**

संख्या- /145/90-सं0शि0प0का0-2019-01सं0शि0/2015

प्रेषक,

कौशलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Add. Com./
Add. Com. (प्रशा०)

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4415
Commissioner
15.02.2019

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊः दिनांक 4 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2019

विषयः- मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनीटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-03/2018/469/90सं0शि0प0का0-2018-01सं0शि0/2015, दिनांक-24 अप्रैल, 2018 और उसके साथ संलग्न कर ऑनलाइन प्रेषित किये गये मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक-28 सितम्बर, 2012 एवं मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश संख्या-1117/90-सं-1-2015-70सं/1984, दिनांक-15 अक्टूबर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-2/2018/400/90-सं0शि0प0का0/18-01(सं0शि0)/2015, दिनांक-03 अप्रैल, 2018 जो - **"Shasanadesh.up.nic.in"**- पर उपलब्ध है, के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-785/90-सं0शि0प0का0/18-01सं0शि0/2015, दिनांक-24 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने तथा प्रत्येक त्रैमास की कृत कार्यवाही की सूचना पूर्वोक्त शासनादेशों के साथ संलग्न कर उक्त वेबसाइट पर प्रेषित किये गये निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

1538
18.02.19

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से समस्त संबंधितों को अवगत कराने के साथ-साथ उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में निर्गत किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष-2018 की दि0-31 मार्च, 2018, दि0-30 जून, 2018 व दि0-30 सितम्बर, 2018 को समाप्त त्रैमासों की अद्यतन सूचना के साथ-साथ विगत दि0-31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हुए त्रैमास की सूचना निर्धारित प्रारूप पर पृथक्-पृथक् शासन को **शीर्ष प्राथमिकता पर अविलम्ब** उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि वर्ष-2018 की प्रथम 03 त्रैमासिक सूचनाओं में मा0 सदस्यगण के पत्र लम्बित पूर्व में प्रदर्शित किये गये हैं, तो उक्त स्थिति में लम्बित पत्रों को नियमानुसार **अविलम्ब** निस्तारित कराते हुए उक्त त्रैमासों की सूचनाओं में पृथक्-पृथक् समाहित कराना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(कौशलेन्द्र यादव)
विशेष सचिव।

एडी० कमि०(प्रा०)

एडी० कमिश्नर
18.02.2019

1073
18/2/19

प्रपत्र–2

मा0 सांसद एवं विधान–मण्डल के संदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण करने विषयक त्रैमासिक सूचना :–

कम संख्या	मा0 सांसद/विधान मण्डल सदस्य का नाम	पत्र प्राप्त होने की तिथि	पत्र का विषय	कृत कार्यवाही का विवरण	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराने की तिथि	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही अवगत न कराये जाने का कारण *
1	2	3	4	5	6	7

* विशेष :–

शासन के पत्र संख्या–553/90–सं0शि0प0का0–17–1 सं0शि0/2015 दिनांक 31.10.2015 का प्रस्तर–4 का अवलोकन प्रश्नगत प्रपत्र के कालम–7 के संबंध में अपेक्षित है।

प्रपत्र–1

ना0 सांसद एवं विधान–मण्डल के सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही किये जाने का अनुश्रवण करने हेतु नामित नोडल अधिकारी से संबंधित सूचना :–

क्रमांक	विभाग / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / जनपद का नाम	नामित नोडल अधिकारी का विवरण		
1	2	3		
		नाम	पदनाम	मोबाइल नं0 / दूरभाष नम्बर

विशेष :–

शासन के पत्र संख्या 1117/90–सं–1–2015–70सं0–1984, दिनांक 15.10.2015 एवं उसके क्रम में जारी पत्रों के अनुसार कम से कम संयुक्त सचिव/संयुक्त निदेशक/उप जिलाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करना अपेक्षित है।